कार्यालय जिलाधिकारी, हरिद्वार।

संख्या-7917 /नाजिर सदर-2020-21(सफाई/माली कार्य ठेका) दिनांक-14, जोलाई-2020

कोटेशन/निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्ट्रेट भवन स्थित रोशनाबाद, जिलाधिकारी आवास/कैम्प कार्यालय रोशनाबाद, नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय/आवास में दैनिक सफाई कार्य एवं माली/पलम्बर का कार्य सूचारू रूप से संचालित रखने के लिये वित्तीय वर्ष-2020-2021 में (स्वीकृति तिथि से दिनांक-31.03.2021 तक) दैनिक सफाई कार्य, मासिक ठेका राशि भुगतान के आधार पर दिया जाना है, जिसके लिये इच्छुक स्थानीय फर्मो/संस्थाओं/ठेकेदारों एवं व्यक्तियों से दिनांक-12.06.2020 की अपरान्ह 01-00 बजे तक कोटेशन/निविदा निम्नवत शर्तो के अधीन आमन्त्रित किया गया था परन्तु निविदा शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने के फलस्वरूप उक्त तिथि में प्राप्त निविदायें विना खोले, समिति द्वारा पुनः **दिनांक-25.07.2020 की अपरान्ह 03-00 बजे तक कोटेशन/निविदा निम्नवत शर्तो के अधीन आमन्त्रित की जाती है।** इच्छुक व्यक्ति/फर्म नियत दिनांक/समय तक अपनी कोटेशन/निविदा बन्द लिफाफे में सादे पेपर पर कलेक्ट्रेट हरिद्वार के नजारत अनुभाग में प्राप्त करा सकते है। नियत दिनांक/समय के बाद विलम्ब से प्राप्त होने वाली कोटेशन/निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित पूर्ण नियम एवं शर्ते किसी भी कार्यालय दिवस में कलक्ट्रेट हरिद्वार के नजारत अनुभाग से प्राप्त व देखी जा सकती है। इस वार्षिक ठेका में निम्नवत समस्त कार्यालय भवन, कार्यालय प्रांगण एवं नालियों की सफाई एवं कार्यालय परिसर तथा भवन में समस्त माली/पलम्बर कार्य सम्मिलित होगा।

कसं0	कार्यालय का नाम एवं कार्य का विवरण	अवधि
1	2	3
1.	कलेक्ट्रेट हरिद्वार, फेज-प्रथम (प्रशासनिक भवन), कलेक्ट्रेट फेज-द्वितीय (न्यायालय भवन), कलेक्ट्रेट भवन में स्थापित अन्य विभागों के शासकीय कार्यालय में दैनिक सफाई कार्य-	वर्ष-2020-2021 (स्वीकृति तिथि से 31.03.2021 तक)
2.	जिलाधिकारी आवास एवं शिविर कार्यालय तथा परिसर रोशनाबाद में दैनिक सफाई कार्य-	वर्ष-2020-2021 (स्वीकृति तिथि से 31.03.2021 तक)
3.	सिटी मजिस्ट्रेट, हरिद्वार कार्यालय भवन तथा परिसर में दैनिक सफाई कार्य-	वर्ष-2020-2021 (स्वीकृति तिथि से 31.03.2021 तक)
4.	कलक्ट्रेट भवन एवं जिलाधिकारी शिविर कार्यालय/आवास व अन्य में पलम्बर कार्य तथा कलक्ट्रेट में माली कार्य-	वर्ष-2020-2021 (स्वीकृति तिथि से 31.03.2021 तक)

-:शर्ते :-

1- कार्यालय भवन एवं परिसर की प्रत्येक कार्य दिवस में और आवश्यकता पडने पर अवकाश के दिनों में तथा राष्ट्रीय पर्वो एवं विशिष्ट व्यक्तियों के कलक्ट्रेट आगमन पर समय से सफाई करना अनिवार्य होगा।

2- भवन के समस्त शौचालयों एवं बाथरूम की नियमित रूप से सफाई करानी आवश्यक होगी यदि किसी दिन सफाई नही की जाती है तब रूपये 500.00 तक सम्बन्धित ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

3- कार्यालय में साफ सफाई का निरीक्षण कभी भी किसी भी समय प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक किया जा सकेगा, तथा उनकी आख्या के आधार पर सफाई का मूल्यांकन किया जायेगा। इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रति सप्ताह रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी तथा समीक्षा अपर जिलाधिकारी के स्तर पर की जायेगी। इसमें असंन्तुष्टि की दशा में एक बार मौखिक, तथा दुसरी बार लिखित चेतावनी दी जायेगी, तथा तीसरी बार गंदगी पाये जाने पर सेवाऐं समाप्त कर दी जायेगी।

4- ठेका राशि का भुगतान प्रतिमाह की दर से 02-मजदूरी मद में बजट की उपलब्धता पर किया जायेगा।

5- ठेके की अवधि स्वीकृति तिथि से दिनांक-31.03.2021 तक मान्य होगी।

6- सफाई सम्बन्धी सामग्री एवं अन्य सफाई उपकरण कार्यालय द्वारा स्टांक पंजिका में दर्ज कर एवं प्राप्ति हस्ताक्षर कराकर उपलब्ध कराये जायेगे। सफाई उपकरणों की टूट-फूट का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

7- पलम्बर कार्य हेतु प्रयोग में आने वाले औजार ठेकेदार के अपने होगें और कार्यालय द्वारा ऐसा कोई औजार उपलब्ध नही कराया जायेगा, और नही कोई यात्रा-भत्ता व्यय अनुमन्य होगा।

8- प्रत्येक ठेकेदार को रू0 100.00 के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा।

9- **टेण्डरदाता को टेण्डर के साथ रू0 1,000.00 का एफ0डी0आर0 जिलाधिकारी हरिद्वार के नाम बंधक कराकर संलग्न प्रस्तुत करना होगा और सफाई कार्य में कोई त्रुटि आने एवं ठेके की शर्तो का पालन न होने पर यह धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।**

10- ठेकेदार द्वारा शर्तो का अनुपालन न किये जाने की दशा में वार्षिक ठेका किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

11- टेण्डर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी हरिद्वार को होगा तथा इनका आदेश अन्तिम होगा एवं इस सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नही होगा। न्यूनतम दर के टेण्डर को भी स्वीकृत करना बाध्यता नही होगी।

12- इस सम्बन्ध में कभी भी उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी का होगा, तथा न्यायिक क्षेत्र सिर्फ हरिद्वार होगा।

प्रभारी अधिकारी (नजारत)
हरिद्वार